विविध 20
7.5.18

राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोहल साहबसर

–: आदेश :–

खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोहल साहबसर व भू.अ.नि. रांढणा की रिपोर्ट तथा उपखण्ड रामगढ़–शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत साहबसर तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी 2004-77 में खाता संख्या 214 (नया) 210 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को अशुद्ध से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
साहबसर रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत	214 नया 210 पुराना	शंकर पुत्र रूपाराम जाति चमार	शंकर पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल दुरुस्त

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत रोहल साहबसर

7.5.18

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना शंकर पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साहबसर को सूचनार्थ

( )

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत रोहल साहबसर

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

प्राप्त किया